रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 1971/पौष 25, 1892

No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 1971/PAUSA 25, 1892...

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January 1971

S.O. 352.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1969 (56 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1971, as the date on which the provisions of sections 33, 34, 76 and 82 of the said Act shall come into force.

[No. 39-TAG(1)/70.]

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी 1971

एस० ओ० 352.—मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 56) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 33, 34, 76 और 82 के उपबंध प्रवृत होंगे ।

[सं० 39—टी० ए० जी० (1)/70.]

के० नारायणन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971